कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा

पत्रांक– 190 / 14–10–1 दिनांक, इटावा, जुलाई, 15, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल कानपुर

विषयः टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 कानपुर द्वारा इटावा कानपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–02 (नया राजमार्ग–19) के किमी0 348.00 से 323.55 तक दायीं पटरी पर सी0एन0जी0 पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु 1.46265 हे0 संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Pipeline152073/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में सादर अवगत कराना है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 कानपुर द्वारा इटावा कानपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–02 (नया राजमार्ग–19) के किमी0 348.00 से 323.55 तक दायीं पटरी पर सी0एन0जी0 पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु 1.46265 हे0 संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर 05 प्रतियो में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। विषयगत प्रकरण में स्वयं मौके का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि की मांग न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। प्रस्ताव में किसी वृक्ष का पातन निहित नहीं है। प्रस्ताव में कोई वन स्वरूप क्षेत्र सम्मिलत नहीं है तथा विषयगत क्षेत्र में कोई भी दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियां नही पायी गयी।

अतः प्रस्ताव 04 प्रतियों में ऑनलाइन अपलोड कर संस्तुति सहित आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अतुलकान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा

पत्रांकः– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 तृतीय तल, साई पैलेस एच0आई0जी0 1–बी चन्द्रविहार लखनपुर कानपुर–208002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अतुलकान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा